न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 94/2018 G.C.M.S. No. 2018/00389 दर्ज दिनांक : 05.10.2018

अपीलार्थिगण:

1. मृतक मोतीलाल के कायम मुकाम:–
   1/1 सायरी पत्नि मोतीलाल
   1/2 मदनलाल पुत्र मोतीलाल
2. मृतक मोहनलाल के कायम मुकाम:–
   2/1 शांतिदेवी पत्नि मोहनलाल
   2/2 अशोक कुमार पुत्र मोहनलाल
3. खीमाराम पुत्र सुजा, जातिगण भाट, निवासीगण रानीखुर्द, तहसील रानी व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. सुजा वल्द केशा, जाति भाट, साकिन रानी, तहसील रानी, जिला पाली।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पाली, जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 599/2015 बअनवान मोतीलाल बनाम सुजाराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.06.2018 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री मनोहरदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. रेस्पोंडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

संशोधित निर्णय

दिनांक: 25.03.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 599/2015 बअनवान मोतीलाल बनाम सुजाराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में वादीगण अपीलांट सुजाराम जी के पुत्र है तथा नवाजी के पोत्र है। अपीलांट की मालिकाना हक की कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 144 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा किस्म सेवज दोयम की कृषि भूमि मौजा ग्राम जुनी एंदला, तहसील पाली मे स्थित है उक्त कृषि भूमि पर शुरू से ही कब्जा काश्त वादीगण के पिता सुजाराम वल्द नवाजी, जातिगण भाट निवासी ग्राम रानी भटवाडा बास का ही रहता आ रहा है तथा वादीगण के पिता के पश्चात उक्त कृषि भूमि पर कब्जा काश्त

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

वादीगण का रहता आ रहा है तथा वर्तमान मे उक्त कब्जा वादीगण का ही हैं। जिस बाबत भूमि एकीकरण एवं मिलान क्षेत्रफल संवत 2017 से 2018 की एवं जमाबंदी की नकल संवत 2018 से 2021, संवत 2026 से 2029 तथा वर्तमान की सलंग्न है। उक्त कृषि भूमि का इन्द्राज रेवेन्यु रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 01 के नाम गलत तौर पर लिख दिया गया। उक्त कृषि भूमि के रेवन्यु रेकर्ड में सुजा वल्द नवा की जगह सुजा वल्द केसा भूलवश सहवन से लिख दिया गया। सुजा वल्द केसा जाति भाट, साकिन रानी नाम का कोई व्यक्ति रानी में न था और न है। उक्त कृषि भूमि पर पूर्वजों से अपीलांट/वादीगण का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट/वादीगण का उक्त कृषि भूमि पर अपना मालिकाना हक होने से उक्त वाद वास्ते करने घोषणा खातेदारी हेतु अपीलांट/वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। उक्त कृषि भूमि में किसी अन्य लोगों का हक अधिकारी नहीं होने से तथा प्रतिवादी संख्या 01 सुजा वल्द केसा नाम का व्यक्ति न रानी में होने से और न ही मौजा ग्राम जुनी एंदला में होने से उक्त कृषि भूमि का अपीलांट/वादीगण को खातेदार घोषित किया जाना अतिआवश्यक व न्यायसंगत है। क्योंकि अपीलांट/वादीगण की उक्त कृषि भूमि मौजा ग्राम जुनी एंदला तहसील पाली में स्थित होने से उक्त वाद के सुनवाई का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय को उपलब्ध होने से सहायक कलक्टर पाली के समक्ष पेश किया गया था। अगर अपीलांट/वादीगण को उक्त रेवेन्यु रेकर्ड का फायदा उठाकर अगर प्रतिवादीगण/रेस्पोंडेण्ट बेदखल करने में सफल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से अपूर्णीय क्षति अपीलांट/वादीगण को ही होनी हैं। जिसकी भरपाई भविष्य में रूपये पैसों से नहीं कर पायेंगे। इस संदर्भ में अपीलांट/वादीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एल. एक्ट के तहत पेश किया गया था। उक्त प्रकरण प्रशासन गांवो के संग केम्प डिगाई में निस्तारण फरमाते हुए दिनांक 24/06/2015 को यह कहते हुए श्रीमान द्वारा खारिज कर दिया गया कि उक्त प्रकार का निस्तारण वाद के जरिये ही संभव है। इस परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त वाद पेश किया गया था। उक्त वाद में साक्ष्य सबूत पेश करने के पश्चात वाद की सुनवाई के दरमियान उक्त प्रकरण लोक अदालत 2018 केम्प गुडा एंदला में दिनांक 25/06/2018 को पेश हुयी तथा बिना सुनवाई का अवसर दिये, बिना अपीलांट/वादीगण की उपस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी मनमर्जी से यह कहते हुए कि अपीलांट/वादीगण द्वारा कोई गवाहन तथा साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये जाने की वजह से दिनांक 25/06/2018 को खारिज किया गया। अपीलांट/वादीगण द्वारा अपने दावे की ताईद में सारे साक्ष्य सबूत मय अडोस–पाडोस के खातेदारों को श्रीमान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश करने के बाद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह कहना की वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त के संदर्भ में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

किसी आडोस–पाडोस के गवाहान को पेश नहीं किया गया किसी भी रूप से न्यायसंगत नहीं हैं। दिनांक 25/06/2018 को कैम्प गुडा एंदला में लोक अदालत की भावना से निर्णय किये जाने का प्रावधान था जिसमें आपसी सहमति के आधार पर प्रकरणों का निस्तारण किये जाने की मंशा थीं। जो पक्षकार लोक अदालत में उपस्थित ही नहीं हैं उन प्रकरणों का लोक अदालत में निस्तारण किये जाने का कोई औचित्य ही नहीं हैं। प्रार्थीगण ने एक अपील श्रीमान के न्यायालय में पेश की हैं तथा प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की जानकारी नहीं थीं। क्योंकि उक्त निर्णय प्रार्थीगण की अनुपस्थिति में केम्प गुडा एंदला में पारित होने से तथा बाद निर्णय प्रार्थीगण को लम्बे समय तक पता नहीं चलने पर बाद में पता चलने पर उक्त निर्णय मय डिक्री पर्चा की नकल प्राप्ति का प्रार्थना पत्र दिनांक 20/08/2018 पेश करने पर तथा दिनांक 29/08/2018 को नकल प्राप्त होने पर प्रार्थीगणों द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर पेश की हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात के खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 25.06.2018 द्वारा खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील विलंब के साथ प्रस्तुत की।
2. विलंबकाल माफ करने के लिए अपीलांट्स द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की जानकारी नहीं थीं। क्योंकि उक्त निर्णय प्रार्थीगण की अनुपस्थिति मे केम्प गुडा एंदला में पारित होने से तथा बाद निर्णय प्रार्थीगण को लम्बे समय तक पता नहीं चलने पर बाद में पता चलने पर उक्त निर्णय मय डिक्री पर्चा की नकल प्राप्ति का प्रार्थना पत्र दिनांक 20/08/2018 पेश करने पर तथा दिनांक 29/08/2018 को नकल प्राप्त होने पर प्रार्थीगणों द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर पेश की हैं।
3. हमारे विनम्र मत में प्रकरण में दीर्घ विलंब निहित नहीं हैं तथा प्रकरण का निर्णयन कठोर, तकनीकी व प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं किया जाकर गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। जिसके लिए उभयपक्षकारान को सुना जाना आवश्यक है। विलंब अपीलांट

राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा

की लापरवाही व उदासीनता से होना साबित नहीं हैं। अतः विलंबकाल सद्भाविक व युक्तियुक्त होने से माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 10.04.2018 को नियत थीं। आदेशिका दिनांक 10.04.2018 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में वादी साक्ष्य पूर्ण कर वादी साक्ष्य बंद करते हुए पत्रावली बहस हेतु राजस्व लोक अदालत कैम्प गुडाएंदला में दिनांक 25.06.2018 को नियत की गई। दिनांक 25.06.2018 को पत्रावली लोक अदालत कैम्प गुडाएंदला में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा वाद खारिज किया गया। उक्त दिनांक को वादीगण की उपस्थिति होने का अंकन है। लेकिन आदेशिका पर हस्ताक्षर नहीं हैं। जबकि दिनांक 10.04.2018 की आदेशिका पर वादीगण के हस्ताक्षर है। प्रकरण में प्रतिवादी साक्ष्य में पत्रावली नियत नहीं की गई तथा प्रतिवादी की गैर मौजूदगी में साक्ष्य वादी पूर्ण करना अंकित है। दिनांक 25.06.2018 को पक्षकारान द्वारा राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होने एवं प्रकरण राजीनामा से निष्पादित किए जाने बाबत कोई प्रार्थना पत्र/राजीनामा/सहमति पत्र अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं। अतः स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारान की सहमति के अभाव में, पक्षकारान की गैर मौजूदगी में राजस्व लोक अदालत में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं।

5. लोक अदालतों में प्रकरण निर्णित करने के संबंध में यह स्वीकार्य स्थिति है कि कानूनन उभयपक्षकारान की सहमति से ही प्रकरण निस्तारण हेतु लोक अदालत में रखे जा सकते हैं तथा उभयपक्षकारान द्वारा राजीनामा निष्पादन किए जाने की दशा में उभयपक्षकारान की उपस्थिति में ही लोक अदालत में प्रकरण निर्णित किए जा सकते हैं अन्यथा नहीं। अर्थात पक्षकारान की गैर मौजूदगी में एवं उभयपक्षकारान द्वारा राजीनामा निष्पादन के अभाव में प्रकरण लोक अदालत में नियत व निर्णित नहीं किए जा सकते।

6. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर.सी.आर. सिविल 2006 (4) पेज 947 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 20 के अंतर्गत लोक अदालत के द्वारा मुकदमों के निस्तारण की शक्तियों के संबंध में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है– **"No Order can be passed by Lok Adalat if no compromised or settlement of could at between Parties."** इस प्रकार यह सुविस्थापित प्रावधान है कि पक्षकारों के मध्य बिना सहमति हुए एवं बिना राजीनामा हुए किसी भी प्रकरण को न तो लोक अदालत में रखा जा सकता है एवं न ही लोक अदालत में निर्णित किया जा सकता है,

अतिरिक्त अपील प्राधिकारी
पाली

ऐसा किया जाना पक्षकारों के मध्य न्यायिक जबरदस्ती की श्रेणी में आता है, जिसका किसी भी दृष्टि में समर्थन नहीं किया जा सकता है।

7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि अपीलाधीन निर्णय पुष्टि/सहमति योग्य नहीं हैं। अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली–भांति साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सहायक कलक्टर रानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 599/2015 बअनवान मोतीलाल बनाम सुजाराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.06.2018 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में आज्ञापक विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों का अनुपालन करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित व डिक्री करें। अपीलांट्स को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि असालतन/वकालतन दिनांक 30.03.2026 को अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रानी में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **25.03.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली